

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/ 330

दिनांक : 08/01/15

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित

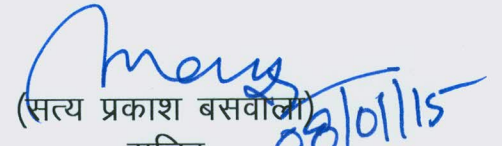
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) भीलवाड़ा।

विषय:- पंचायत आम चुनाव-2015 में विड़ियोग्राफी की व्यय सीमा निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 80177 दिनांक 08.01.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में मतदान दिवस पर अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की विड़ियोग्राफी के लिए नियुक्त किये जाने वाले विड़ियोग्राफर्स को मतदान दल के साथ ही रवाना किये जाने से चार दिवस का भुगतान किये जाने की स्वीकृति चाही गई है, इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि, आयोग द्वारा मात्र मतदान वाले दिवसों की विड़ियोग्राफी हेतु ही निर्देशित किया गया है। अतः विड़ियोग्राफर को तदनुसार ही मात्र दो दिवसों का भुगतान देय है। कृपया तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

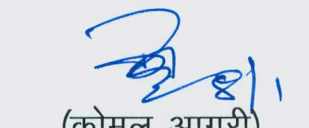

(सत्य प्रकाश बसवोला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/ 331-32

दिनांक 08/01/15

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राजस्थान।
2. पंचायत चुनाव शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।


(कोमल आगरी)
वित्तीय सलाहकार
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर